कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पिथौरागढ।

पत्रांक 559 /सांसद निधि/राज्यसभा (वर्ष 2017–18)/2023–24 दिनांक 30 अगस्त, 2023

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
पिथौरागढ़।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा मा0 पूर्व सांसद (राज्य सभा) जी के सांसद निधि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अपने कार्यकाल के दौरान निम्नांकित कार्य जो आपके विकास खण्ड से सम्बन्धित है के प्रस्तुत प्रस्ताव के फलस्वरूप इन कार्यो के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि आपको कार्यदायी सस्था नमित करते हुए अवमुक्त की जा रही है।

क0स0	योजना का नाम	स्वी0धनराशि	अवमुक्त प्रथम किश्त
1	मिशन इण्टर कालेज भाटकोट में पेयजल निर्माण	0.75	0.5625
2	मिशन कन्या इण्टर कालेज में स्मार्ट कक्ष का निर्माण	2.00	1.5
3	नेहरू पार्क पिथौरागढ़ में बेंच का निर्माण	0.75	0.5625
4	ग्राम चण्डाक में सी0सी0 मार्ग का निर्माण	2.00	1.5
		5.50	4.125

उपरोक्त कार्य के सापेक्ष आप द्वारा प्रेषित प्राक्कलन उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं कार्य स्थल के फोटोग्राफ एवं एम0बी0 के आधार पर आपको द्वितीय किश्त की धनराशि प्रेषित की जाएगी। द्वितीय किश्त की धनराशि का मानक के अनुसार उपयोग होन पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र(मूल में) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सांसद क्षेत्र विकास योजना के निम्न लिखित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

1–धनराशि धार्मिक स्थलों पर व्यय न की जाय तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कडाई से पालन किया जाये।

2–योजना के कार्य स्थल पर माननीय सांसद(लोकसभा)/माननीय सांसद(राज्यसभा) का नाम उल्लेख करते हुये सांसद निधि/योजना निर्माण करने से पूर्व सूचना पट्ट लगाया जाये। जिसमें मा0सांसद जी का नाम, कार्य का नाम, वर्ष, कार्य की लागत, कार्य आरम्भ की तिथि, कार्य समापन की तिथि, उद्घाटन की तिथि, कार्यदायी संस्था का नाम अंकित हो।

3.निर्माण कार्य पर किसी प्रकार का प्रशासनिक प्रभाग–सैन्टेज चार्ज किसी व्यक्ति का वेतन, यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। निधि की धनराशि का भूमि अधिग्रहण तथा अधिगृहित भूमि का मुवावजे पर व्यय प्रतिबंधित है।

4–कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा समय–समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जाये।

5–मासिक प्रगति रिर्पोट माह की 20 तारीख तक अवश्य रूप से प्रेषित की जाय।

6–कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व का चिन्हित फोटोग्राफ व निर्माणाधीन कार्य का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण के उपरान्त का फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रेषित किया जाय।

7–कार्य 1 वर्ष के अन्दर पूर्ण कराया जाय कार्य पूर्ण होने के उपरान्त एक माह के अन्दर कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, अंतिम एम0बी0की छाया प्रति व कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र कार्य पूर्ण का प्रमाणित फोटोग्राफ व कार्य की समापन रिर्पोट डी0आर0डी0ए0 को प्रत्येक दशा में अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

8–द्वितीय किश्त का प्रस्ताव प्रेषित करते समय कार्य का फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर जिसमें किसी कर्मचारी की फोटो हो प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण–पत्र, मूल्यांकन की प्रमाणित छाया प्रति प्रेषित किया जाये।

9–भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यो में यथा सम्भव भूकम्परोधी तकनीकी को ध्यान में रखा जाये। रॉयल्टी काट कर ट्रेजरी में जमा करें।

10–निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि विवाद रहित है या नहीं इस बात का ध्यान रखा जाये।

11–सांसद निधियों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखेंगे। किसी भी दशा में धनराशि ट्रेजरी/पो0ओ0 में जमा न की जाय। प्रत्येक सांसद का अलग–अलग खाता खोले। कार्य समाप्त के बाद व्याज की धनराशि डी0आर0डी0ए0 को वापस कर दी जाय।

12–व्यक्तिगत /पारिवारिक लाभ की योजनाओं में पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित हैं।

13–जिस योजना के लिये धनराषि अवमुक्त की जा रही है उसी योजना पर व्यय किया जाय।

14–योजना के कियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 की शतों का अनुपालन सुनिष्चित किया जाय।

15–केन्द्र, राज्य सरकार उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों/संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन के निर्माण पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है।

16–सार्वजनिक भवन निर्माण की भूमि के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र दिया जाय यथा–सरकारी भूमि, ग्राम पंचायत की भूमि, आदि।

17–सम्पर्क मार्ग में सी0सी0मार्ग निर्माण किया जाय। खण्डजा मार्ग अनुमन्य नही है।

नोट–मेला स्थल/ सौन्दर्यकरण सम्बन्धी कार्य किसी भी दशा में मंदिर के पास व उसकी भूमि में न करायें जायें। यदि कोई भी मंदिर के पास या उसकी भूमि में कराया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

18– अवगत कराना है कि यदि उपयुक्त कार्य यदी किसी अन्य मद से पूर्ण कर लिए गये हो, अथवा कार्य की उपयोगीता खत्म होने की दशा में तत्काल अघोहस्ताक्षरी को कारण अवगत कराते हुए धनराशि वापस करना सुनिश्चित करेगे।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
पिथौरागढ।

पृष्ठांकन 559 /सांसद निधि/ राज्यसभा (वर्ष 2017–18)/2023–24 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–मुख्य विकास अधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को सादर अवलोकनार्थ।

जिलाधिकारी महोदया पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ।

आयुक्त ग्राम्य विकास पौढ़ी को सादरसूचनार्थ।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार को सादर सूचनार्थ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा पूर्व सांसद राज्य सभा होटल उल्का प्रियदर्शीनी को सादर सूचनार्थ।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
पिथौरागढ।